भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294290
ई-मेल / E-mail: palash.shankar@gov.in , वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

फा.क्र. सीप्ज़-सेज़/श्रम-14014/1/2023 दिनांक: 16 /5/2023

परिपत्र संख्या./श्रम/ 12/2023-2024

इस कार्यालय के दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के परिपत्र सं. सीप्ज़-सेज़/एलएबी/100/08-09 के अनुसरण में यह देखा गया है कि कुछ निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईओयू) के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) की यूनिट भी बाल श्रम के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। अतः सभी यूनिट धारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित सूचना नियमित रूप से प्रस्तुत करें।

1) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट को प्रत्येक कर्मचारी की जन्म तिथि का प्रमाणित रिकॉर्ड रखना चाहिए।

2) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट स्व-घोषणा प्रस्तुत करेंगे जिसमें पुष्टि की जाएगी कि पिछले छह महीनों के दौरान कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत नहीं था। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक यूनिट द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात् अप्रैल के प्रथम सप्ताह में छह माह की अवधि (अक्टूबर से मार्च) की कार्यवाही से संबंधित तथा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में छह माह की कार्यवाही (अप्रैल से सितंबर) से संबंधित अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3) प्रत्येक ईओयू/सेज़ यूनिट को यूनिट के प्रमुख स्थान पर "कोई बाल श्रम नहीं लगा है" का बोर्ड लगाना आवश्यक है।

यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सीपीएस चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़.

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294290
ई-मेल / E-mail: palash.shankar@gov.in , वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

File No.SEEPZ-SEZ/LAB-14014/1/2023 **Date: 16 /05/2023**

CIRCULAR No./LAB/ 12/ /2023-2024

In continuation of this office Circular No. SEEPZ-SEZ/LAB/100/08-09 dated 15th October, 2015 it is observed that, some of the Export Oriented Units as well as Units in the Special Economic Zone have not been submitting, the following information regarding child labour. Therefore, all the Units holders are requested to submit the following information regularly.

1) Each EOU/SEZ Unit should keep certified record of date of birth of each employee.

2) Each EOU/SEZ Unit shall furnish self declaration confirming that no child labour was employed during last six months. This certificate shall be submitted by each unit twice in a year i.e. 1st week of April relating to proceeding six months period (October to March) and in the 1st week of October for the period relating to proceeding six months (April to September).

3) Each EOU/SEZ Unit is required to display board showing "No child Labour is engaged" in prominent place of unit.

This issues with the approval of Competent Authority.

16.05.23

(CPS Chauhan)
Joint Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ.